मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर

//अधिसूचना//

क्रमांक– 133/जि.वि.स.अ./परीक्षा/2021 जबलपुर, दिनांक 30/11/2021

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के विज्ञापन क्रमांक–37/जि.वि.स.अ./परीक्षा/2021 जबलपुर, दिनॉक 08/06/2021 के अन्तर्गत जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर) राजपत्रित के 14 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसकी ऑनलाईन परीक्षा दिनॉक 06/09/2021 को आयोजित की गई थी और परीक्षा का परिणाम दिनॉक 29/10/2021 को घोषित किया गया है। साक्षात्कार हेतु प्रावधिक सूची जारी की जा रही है।

साक्षात्कार हेतु जिन अभ्यर्थियों को प्रावधिक रूप से अनुमति दी गई उनके प्रवेश पत्र म.प्र. उच्च न्यायालय की ऑफिसियल वेबसाइट (www.mphc.gov.in) के माध्यम से जारी किये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु योग्य आवेदक, साक्षात्कार दिवस पर समस्त मूल दस्तावेज एवं मूल फोटो पहचान पत्र तथा उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट अनुप्रमाणन फार्म के साथ प्रस्तुत करेंगे।

साक्षात्कार प्रवेश पत्र में उल्लिखित स्थान, तिथि व समय पर आयोजित होगा। अतः उल्लेखानुसार स्थान, तिथि व समय पर आवश्यक रूप से इस प्रकार उपस्थित रहें कि दस्तावेजों का मिलान हो सके।

(अशोक कुमार त्रिपाठी)
ओ.एस.डी. (परीक्षा)

Provisionally Allowed Candidates to appear in the Interview of District Legal Aid Officer (Entry Level) Gazetted Exam - 2021

Sr.No.	Application No.	Candidate Name	Remark
1	MPAO2100159	SARVESH CHATURVEDI	Complete
2	MPAO2100611	SAYED AAMIR ALI	Complete
3	MPAO2100671	SAGAR AGRAWAL	Complete
4	MPAO2100817	RITU PRAJAPATI	Complete
5	MPAO2100902	UMANG CHAUDHARY	Complete
6	MPAO2100905	SHASHANK GUPTA	Complete
7	MPAO2100994	JAYDEV MANIK	Complete
8	MPAO2101081	NIRBHAY SINGH	Complete
9	MPAO2101130	ASHU DANDOTIYA	Complete (Acquitted on Compromise Section 323, 294, 506-B,324, 34 IPC.)
10	MPAO2101400	SACHIN GURJAR	Complete
11	MPAO2101602	ANKIT DAWAR	Complete
12	MPAO2101721	VIKALP VAIBHAV DUBEY	Form incomplete as According to form Condition No. 13 Read with 19(6) NOC Not Attached. If we treat him as Govt. Employee then 14 days Over Age in UR Category. Proof of Service not Attached.
13	MPAO2101787	HARSHIT SANDHIR	Complete
14	MPAO2102270	DILAWAR SINGH	Complete
15	MPAO2102339	SHUBHAM SINGH	Complete
16	MPAO2102341	KRISHNENDU	Complete
17	MPAO2102346	ANUPAMA MUJALDE	Complete

Sr.No.	Application No.	Candidate Name	Remark
18	MPAO2102347	HARSH GOP	Incomplete as LLB marksheets not attached. Attached only Provisional certificate. Condition 19(7) not fully complide.
19	MPAO2102466	HARSH VARDHAN RATHORE	Complete
20	MPAO2102759	AYUSHI AGARWAL	Complete
21	MPAO2103101	APARNA LODHI	Complete
22	MPAO2103273	PRANAV RAJNEGI	Complete
23	MPAO2103274	NITIN TOPPO	Complete
24	MPAO2103322	PAYAL SONTI	Complete
25	MPAO2103806	MRIGENDRA SINGH BAIS	Complete
26	MPAO2103913	KULDEEP PRAJAPATI	Complete
27	MPAO2103932	DEVENDRA SINGH PARSTE	Complete
28	MPAO2104361	BANTI KUMAR	Complete
29	MPAO2104420	BALARAM BANJARA	Complete
30	MPAO2104568	HARSHIT BISEN	Complete
31	MPAO2105235	SATYAM PANDEY	Complete
32	MPAO2105415	SIDDHARTH SHUKLA	Incomplete as Application form Point No. 17 (Case Detail) not filled.
33	MPAO2105879	SHIKHA UIKEY	Complete
34	MPAO2105910	PRAVEEN KUMAR	Complete
35	MPAO2106171	HIMANSHU RAJ VERMA	Complete

Sr.No.	Application No.	Candidate Name	Remark
36	MPAO2106185	SAURABH KUMAR DUBEY	Complete
37	MPAO2106282	RAKESH KUMAR AHIRWAR	Complete
38	MPAO2106715	HEMA VERMA	Complete
39	MPAO2106754	ANKIT BHALAVI	Complete
40	MPAO2106937	ATUL SEN	Complete
41	MPAO2107165	RAEES SHAIKH	Complete
42	MPAO2107249	ANUPAM SHRIVASTAVA	Complete
43	MPAO2108149	HEMANT KUSHWAHA	Complete

Note: (i) The "Provisionally Allowed Candidates to appear in the Interview of Legal Aid Officers (Entry Level)" does not confer any right to candidate as to their candidature and the same is subject to interim/ final decision and satisfaction of the competent authority.

(ii) The candidates at Sr.No. 9, 12, 18 & 32 are required to submit such other documents/ information as are necessary to make them eligible shown in remark column of list at the time of Interview along with the Attestation Form.

(iii) The candidates are required to take print out of the Attestation Form and fill the form accordingly

(Ashok Kumar Tripathi)
O.S.D. (Exam)

(Avanindra Kumar Singh)
Principal Registrar (Exam)

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

(परीक्षा सेल)

अनुप्रमाणन–फार्म

''चेतावनी''

(1) अनुप्रमाणन–फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा। किसी भी प्रविष्टि को खाली न छोड़े। यदि वह आप पर लागू न हो तो वैसा स्पष्टतः अंकित करें।

(2) यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बन्दी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोष सिद्ध पाया जाता है अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोषमुक्त आदि किया जाता है तो ब्यौरे, यथास्थिति, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को, जिसे अनुप्रमाणन– फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किये जाने चाहिये, अन्यथा यह माना जायेगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है। अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, आदि भले ही मामले अन्तिम रूप में प्रतिवेदित कर दिये गये हों (खात्मा) वापस लिये गये हों, या उसमें अन्ततः दोषमुक्ति हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो।

(3) यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन–फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी भी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आये, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

1 पूरा नाम – (स्पष्ट अक्षरों में) तथा, उपनाम यदि कोई हो – (यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिये)	कुलनाम (सरनेम) नाम
2. वर्तमान पूरा पता – (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या घर कमाक, गली / मार्ग / सड़क तथा नगर और राज्य जिसमें वह स्थित हो)।	
3. (क) घर का पूरा पता–(अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या घर कमांक, गली / मार्ग / सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का नाम और राज्य जिसमें वह स्थित हो)	(क)
(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवजन की तारीख।	(ख)

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे, जहां आप पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों? यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरें दिये जाने चाहिये जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों :

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना, जिला अथवा घर कमाकं, गली/मार्ग/सड़क तथा नगर)	पूर्ववर्ती खाने में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो।
1	2	3	4

5. पिता का – (क) पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो (ख) वर्तमान डाक– पता (यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए) (ग) घर का स्थाई पता (घ) व्यवसाय (ड) यदि किसी सेवा में हो तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिए	(क) (ख) (ग) (घ) (ड)
6. (एक) नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता – (क) पिता (ख) माता (ग) पति/पत्नी (घ) उम्मीदवार (दो) पति/पत्नी का जन्म स्थान–	(क) (ख) (ग) (घ) दो
7. (क) जन्म तारीख (ख) वर्तमान आयु (ग) मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु	(क) (ख) (ग)
8. (क) जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो। (ख) वह जिला तथा राज्य जहां के आप निवासी हों।	(क) (ख)
9. (क) आपका धर्म (ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं? "हां या नहीं" में उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर हां में हो तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए।	(क) (ख)

10. शैक्षणिक अर्हताएं– वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो :

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता	प्रवेश की तारीख	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख	उत्तीर्ण परीक्षा
1	2	3	4

11. यदि आप कभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए –

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप	अवधि से तक	कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा छोड़ने का कारण
1	2	3	4

12 (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किये गये हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप कभी निरूद्ध किये गये हैं या आप से मुचलका लिया गया है, आप पर जुर्माना किया गया है, क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं, या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग अथवा किसी भी उच्च न्यायालय या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किये जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है, उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/ निष्कासित किया गया है?	
(ख) क्या इस अनुप्रमाणन–फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरूद्ध कोई मामला लंबित है? यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके "उत्तर" हां में हो तो आपको इस अनुप्रमाणन–फार्म भरते समय मामले, गिरफतारी, निरोध/जुर्माने दोष सिद्धि तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करना चाहिये तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए। इस जानकारी के अतिरिक्त जहां लागू हों, वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिये जाएंगे :– (एक) अपराध/आरोप (दो) पुलिस थाने में पंजीयन (तीन) यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम। (चार) मामले का कमांक न्यायालय द्वारा उनका	(एक) (दो) (तीन) (चार)

निपटारा किस तारीख को किया गया। (पांच) दिया गया दण्ड (छः) क्या दोषमुक्त कर दिया गया? (सात) दोषमुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित है या मामला वापिस ले लिया गया था।	(पांच) (छः) (सात)
(ग) क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरूद्ध घोषित किया गया था, अथवा किया गया है, के सदस्य है, या उससे सहयोजित रहे हैं? यदि ऐसा हो तो पूर्ण प्रविष्टियां दें, जैसे संगम/संगठन का नाम, सदस्यता अथवा सम्बद्धता की कालावधि/अवधि/इत्यादि तारीख.............................. स्थान	 उम्मीदवार के हस्ताक्षर ....
{टिप्पणी :– कृपया इस अनुप्रमाणन – फार्म के ऊपर दी गई चेतावनी भी देखें।}	
13. आपको मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों या दो निर्देशियों (रेफरियों) के नाम, जो आपको जानते हों	1.. 2..

मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है , सही और पूर्ण है। मैं ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूं, जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जावे तो नियुक्ति प्राधिकारी को, बिना सूचना दिये या बिना कारण बताएं, मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बन्धनकारी होगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख.................... स्थान ....

पहचान प्रमाण – पत्र

(प्रमाण–पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के हस्ताक्षर होना चाहिए, इसके अलावा किसी और के हस्ताक्षर मान्य नहीं किए जाएंगे। तथा इस संबंध में आगे कोई लिखा पढ़ी नहीं की जायेगी।)

(एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, (दो) संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य, (तीन) सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/अधिकारी, (चार) तहसीलदार या नायब तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, (पांच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख, (छः) खंड विकास अधिकारी, (सात) पोस्ट–मास्टर, (आठ) पंचायत निरीक्षक।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम श्री ....को पिछले... वर्ष ....माह से जानता हूं तथा उनके द्वारा दिये गये ब्यौरे, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही है।

स्थान ....   हस्ताक्षर

तारीख ....   पद नाम तथा स्पष्ट मोहर एवं पता

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम ....
पदनाम और पूरा पता ....

(दो) वह पद जिसके लिये उम्मीदवार के
संबंध में विचार किया जा रहा है। ....